



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 24.03.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 132/2024 धारा 147/341/323/504/509/354 भादवि से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 03 साथी बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

आज दिनांक 24.03.2024 को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ। बिजनौर पुलिस द्वारा वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया। वायरल वीडियो में कुछ लडके एक मोटरसाइकिल को रोककर मोटरसाइकिल पर सवार 01 पुरुष व 02 महिलाओं पर जबरन रंग डाल रहे हैं। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.03.2024 को जब वह अपने परिवार के साथ डॉक्टर की दुकान पर दवाई लेने जा रहा था तो खारी कुँआ के पास 04 – 05 अज्ञात लडकों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल को रोककर वादी व वादी के परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता की गयी तथा जबरन रंग डाला गया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 147/341/323/504/509/354 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रंग डालने वाले आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है।



कार्यवाही –

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है तथा 02 अभियुक्तगण 1. अनिरुद्ध उर्फ अन्नू पुत्र शिशुपाल वर्मा निवासी मौ0 बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 2. सूरज वर्मा पुत्र राजकुमार वर्मा निवासी मौ0 महलसराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अनिरुद्ध उर्फ अन्नू पुत्र शिशुपाल वर्मा निवासी मौ0 बन्दूकचियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. सूरज वर्मा पुत्र राजकुमार वर्मा निवासी मौ0 महलसराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

पुलिस अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारियों का विवरण –

03 बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. उ०नि० श्री हरेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. हे० कां० 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. हे० कां० 195 लालमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नहतौर

दिनांक 24.03.2024

थाना नहतौर पुलिस ने सात अभियुक्तों को 280 पाउच अवैध देशी शराब सहित
किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.गुड्डू पुत्र जसवीर नि० ग्राम खजुराजट थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 40 पाउच अवैध देशी शराब 2.हरपाल सिंह पुत्र शौनाथ नि० ग्राम मतौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 50 पाउच अवैध देशी शराब 3.हरपाल पुत्र मखन निवासी ग्राम मेहर अलीपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 35 पाउच देशी शराब 4.सत्यपाल पुत्र कैलाश गिरि नि० ग्राम इब्राहिमपुर उर्फ सेढा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 40 पाउच देशी शराब 5. सोमपाल सिंह पुत्र धर्म सिंह नि० ग्राम मुकर्म्मपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 50 पाउच देशी शराब 6.गजेन्द्र पुत्र परमानन्द निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 30 पाउच देशी शराब 7.अरकित उर्फ अरविन्द पुत्र आनन्द सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 35 पाउच अवैध देशी शराब सहित कुल 280 पाउच अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया।

इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 113/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम गुड्डू उपरोक्त, मु०अ०सं० 114/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम हरपाल उपरोक्त, मु०अ०सं० 115/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम हरपाल उपरोक्त, मु०अ०सं० 116/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम सत्यपाल, मु०अ०सं० 117/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम सोमपाल, गजेन्द्र व अरकित उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. गुड्डू पुत्र जसवीर नि० ग्राम खजुराजट थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. हरपाल सिंह पुत्र शौनाथ नि० ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. हरपाल पुत्र मखन निवासी ग्राम मेहर अलीपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4. सत्यपाल पुत्र कैलाश गिरि नि० ग्राम इब्राहिमपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5. सोमपाल सिंह पुत्र धर्म सिंह नि० ग्राम मुकर्रमपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर
6. गजेन्द्र पुत्र परमानन्द निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7. अरकित पुत्र आनन्द सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1- कुल 280 पाउच अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- हे०का० 390 देवेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
- 2- हे०का० 496 नरेश पुनिया थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
- 3- हे०का० 359 रविशंकर थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
- 4- हे०का० 533 सरेन्द्र चौहान थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
- 5- का० 2159 आकाश थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
- 6- का० 1276 राहुल थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
- 7- का० 1345 विक्रान्त थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
- 8- का० 1858 मनीष कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।
- 9- का० 1073 अमित मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक- 24.03.2024

थाना मंडावर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.03.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र दयाराम निवासी ग्राम शेखुपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजेन्द्र पुत्र दयाराम निवासी ग्राम शेखुपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 जूही थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2. का0 1846 रिकू रावल थाना मण्डावर बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक- 24.03.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 30 पाउच अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त विजयपाल पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम महुआ थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 30 पाउच अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0-96/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम विजयपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विजयपाल पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम महुआ थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

30 पाउच अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. का0 886 विशाल तोमर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. हो0गा0 1571 सुनील थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 24.03.2024

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.03.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त जुनैद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0स0 92/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम जुनैद उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

जुनैद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 सुभाष कुमार राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 620 मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3.का0 2459 राजीव कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर